न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, मुण्डावर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः- साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
44/07	26.02.2007	25.01.2019

1 रामसिंह पुत्र जग्गू जाति जाट निवासी मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर – असल प्रतिवादी
2 सुखराम
3 फूलसिंह
4 जगदीश
5 विजयपाल पुत्रान जग्गू
6 हरिसिंह
7 औमप्रकाश पुत्रान सोलूराम
8 धूमीराम
9 ईश्वर पुत्रान चन्दगीराम
10 राजेश
11 सतीश पुत्रान छैलूराम पुत्र चन्दगीराम
12 रामावतार
13 आन्दराम
14 हवासिंह पुत्रान लहरी
15 लीलाराम पुत्र भरताराम जातियान जाट निवासीयान मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0।
– तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा – ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

उपस्थिति–1 श्री अशोक चौधरी प्रथम वकील– वादी

निर्णय

दिनांक 25.01.2019

आज यह पत्रावली सुनाये जाने आदेश पेश हुई। वकील वादी उपस्थित आये। वादी के वाद का सारतः रहा कि हाल आराजी खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा साबिक खसरा नं0 131 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर से पैमूद होकर विवदित आराजी कहलायेगी। विवादित आराजी मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वज जग्गू 1/4 भाग सोलू,

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

भरता, लहरी समभाग 1/4 भाग एवं चंदगी 1/2 भाग कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी ओर साबिक रिकार्ड मे मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजान के नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकन रहा है तथा पहले पूर्वजान काबिज होकर काश्त करते थे एवं उनकी फौतगी उपरान्त मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण काबिज एवं दखिल होकर काश्त करते चले आ रहे है। राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने के दिन व जागीरदारी व बिस्वेदारी अधि0 के लागू होने से पूर्व एवं लागू होने के दिन से मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगण के पूर्वजान काबिज चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर वास्तिवक रूप से काबिज है तथा विवादित आराजी मे कदीमी चाह बना हुआ है किन्तु राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून के गलत बिला सुनवाई राजस्व रिकार्ड मे चारागाह दर्ज कर दिया जिसका उनकों ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं था। उक्त गलत इंद्राज के कायम रहने से मिनवादी व तरतीबी प्रतिवादीगणों के हकूको पर कुठाराघात होता है तथा हमारे हक कानूनन रक्षित है। इसलिए अपने अधिकारो के रक्षार्थ दावा इस्तकरारहक मय दुरूस्ती इंद्राज करना लाजिम आया है ओर खातेदार काश्तकार घोषित करा कर रिकार्ड मे अपने नाम का इंद्राज कराने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए वाद वादी बहक वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण विरूद्व असल प्रतिवादी निम्न प्रकार डिक्री इश्तकरारहक पारित किया जावे कि हाल आराजी खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 लगा0 5 का 1/4 भाग, तर0 प्रतिवादी 6 व 7 का 1/12 भाग, 12 लगा0 14 का 1/12 भाग, 15 का 1/12 भाग एवं तर0 प्रतिवादी 8 लगा0 12 का 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार है एवं इस कदर रिकार्ड मे अंकन कराने के अधिकारी है। दावा डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी असल प्रतिवादी संख्या 1 पैरोकार सरकार द्वारा जवाब दावा पेश किया गया। मुताबिक जवाब दावा वादी के वादपत्र के जिम्मनो के बाबत वादी स्वयं सिद्व करे, कानूनी है अंकित करते हुए सारतः रहा कि स्वीकार नहीं, वादी ने अपने कथन के प्रमाण मे कोई साक्ष्य पत्रावली प्रस्तुत नही किये है सिर्फ संवत् 2016 कि जमाबन्दी एवं संवत् 2029 का मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया है हाल रिकार्ड व संवत् 2024–25 कि जमाबन्दी पत्रावली मे प्रस्तुत नही की गयी है वादी स्वयं सिद्व करे का कथन किया गया है एवं तर0 प्रतिवादी सं0 10 जरिये अधिवक्ता हाजिर अदालत आकर अपना इकबाल जवाब दावा पेश किया। मुताबिक इकबाल जवाब वादी के वाद को स्वीकारते हुए वादी के वाद को काबिज डिक्री होने योग्य होकर दादरसी प्राप्त करने का अधिकारी है का अभिकथन करते हुए वादी का वाद डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

प्रकरण मे निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये–

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

1 आया वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने के अधिकारी है। –जिम्मेवादीगण

2 आया विवादित आराजी पर वादीगण /तर0 प्रतिवादीगण का कब्जा नही रहा। भूमि चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी का वाद काबिल खारिज है। –जिम्मेप्रतिवादी

3 दादरसी।

वादी ने अपने वादपत्र की ताईद मे मौखिक साक्ष्य स्वरूप शपथपत्र रामसिंह पी0 डब्ल्यू0 –1, रूपचन्द पी0 डब्ल्यू0 –2, ओमप्रकाश पी0 डब्ल्यू0 –3 एवं दस्तावेजी साक्ष्यस्वरूप नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–1, नकल जमाबन्दी संवत् 2016 प्रदर्श–2, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2013–16 प्रदर्श–3, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2009–12 प्रदर्श –4 एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75, नकल जमाबन्दी सेटलमेंट, नकल मिलान क्षेत्रफल एवं नकल जमाबन्दी संवत् 2012 पेश किये है जो शामिल पत्रावली है।

वकील वादी कि बहस सुनी गयी दौराने बहस वकील वादी ने वादी के वादपत्र के जिम्मनों को दोहराते हुए साबिक खसरा नं0 131 से हाल खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा पैमूद किये जाकर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण की कब्जेकाश्त खातेदारी की आराजी होना अवगत कराते हुए विवादित आराजी पर वादी एवं तर0 प्रति0 के पूर्वजान राज0 काश्त0 अधि0 लागू होने से पूर्व से व लागू होने के दिन तथा जागीरदारी व बिस्वेदारी अधि0 के लागू होने से पूर्व से काबिज रहे होना तथा उनकी फौतगी उपरान्त वादी व तर0 प्रति0 काबिज काश्त चले आ रहे होना व आज दिन भी मौके पर काबिज होने का अभिकथन करते हुए पक्षकारान का कदीमी चाह बना हुआ होने का कथन कर राजस्व कर्मचारीयों द्वारा खिलाफ मौका व खिलाफ कानून बिला सुनवाई राजस्व रिकार्ड मे चारागाह गलत दर्ज कर दिया जाना बताते हुए अपने अधिकारो की रक्षार्थ उक्त वाद के माध्यम से खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है का निवेदन करते हुए ताईद मे वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात प्रदर्श–1 लगा0 4 एवं अन्य नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 नकल जमाबन्दी 2012 के माध्यम से वादी द्वारा वाद साबित कर दिये जाने का कथन करते हुए वाद वादी डिक्री किये जाने का निवेदन रहा।

तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार रहा–

1 तनकी सं0–1 आया वादीगण व तर0 प्रतिवादीगण विवादित आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित कराकर राजस्व रिकार्ड मे अमल कराने के अधिकारी है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मेवादी रहा है इस संबंध मे वादी द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श–1 नकल मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट साबित है कि साबिक खसरा नं0 131 रकबा 3 बिस्वा से हाल खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा बने है एवं प्रदर्श–2 नकल जमाबन्दी संवत् 2016 के कालम 5 मे साबिक खसरा नं0 131 बाबत जग्गू एक चौथाई, सोलू, भरता, लहरी समभाग चार चौथाई एवं चंदगी निस्फ का अंकन

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

है, प्रदर्श–3 नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2013–16 के कालम नं0 6 मे साबिक खसरा नं0 131 बाबत जग्गू, सोलू, भरता, लहरी, चंदगी आदि के नाम का अंकन है, प्रदर्श–4 नकल खसरा टिप संवत् 2009–12 मे भी उक्तानुसार का ही अंकन है एवं प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2012 मे भी साबिक खसरा नं0 131 बंजड कदीम बाबत कालम नं0 5 मे उक्तानुसार का ही अंकन है परन्तु प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2072–75 मे हाल खसर नं0 215 रकबा 0.04 हैक्0 के बाबत कालम नं0 3, 4 मे राज0 सरकार चारागाह का अंकन है। इस प्रकार वादी द्वारा उक्तानुसार प्रस्तुत सुसंगत दस्तावेजात से वाद को साबित किये जाने की स्थिति मे इस तनकी को यह न्यायालय बरखिलाफ असल प्रतिवादी बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

2 तनकी सं0–2 आया विवादित आराजी पर वादीगण /तर0 प्रतिवादीगण का कब्जा नही रहा। भूमि चारागाह दर्ज रिकार्ड है। वादी का वाद काबिल खारिज है। इस तनकी को साबित करने का भार जिम्मे असल प्रतिवादी रहा है। जब तनकी सं0 1 बरखिलाफ असल प्रतिवादी होकर बहक वादी स्पष्टरूप से साबित पाये जाने की स्थिति मे इस तनकी को भी यह न्यायालय बरखिलाफ असल प्रतिवादी बहक वादी स्वीकार योग्य पाता है।

3 दादरसी– उपरोक्त विवेचन के आधार पर एवं वकील वादी की ध्यानपूर्वक सुनी गयी बहस तथा पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के अवलोकन उपरान्त यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः यह न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे हाल आराजी खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा यानि 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड मे हो रहे चारागाह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा0 5 को 1/4 भाग का, तरतीबी प्रतिवादी 6 व 7 को 1/12 भाग का, 12 लगा0 14 को 1/12 भाग का, तरतीबी प्रति0 15 को 1/12 भाग का एवं तरतीबी प्रति0 8 लगा0 11 को 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 25.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

25/1/19

(साधूराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर मुण्डावर
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर जिला अलवर(राज.)

पीठासीन अधिकारीः–साधुराम जाट, आर.ए.एस.

दावा संख्या	दायरा दिनांक	निर्णय दिनांक
44/07	26.02.2007	25.01.2019

1 रामसिंह पुत्र जग्गू जाति जाट निवासी मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मुण्डावर जिला अलवर – असल प्रतिवादी
2 सुखराम
3 फूलसिंह
4 जगदीश
5 विजयपाल पुत्रान जग्गू
6 हरिसिंह
7 औमप्रकाश पुत्रान सोलूराम
8 धूमीराम
9 ईश्वर पुत्रान चन्दगीराम
10 राजेश
11 सतीश पुत्रान छैलूराम पुत्र चन्दगीराम
12 रामावतार
13 आन्दराम
14 हवासिंह पुत्रान लहरी
15 लीलाराम पुत्र भरताराम जातियान जाट निवासीयान मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर राज0। – तरतीबी प्रतिवादीगण

दावा –ईश्तकरारहक मय दुरूस्ती इन्द्राज

वादी की ओर से **श्री अशोक चौधरी प्रथम एडवोकेट** की उपस्थिति मे इस वाद में आज तारीख **25.01.2019** को **साधुराम जाट उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर** के समक्ष निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

हाल आराजी खसरा नं0 215 रकबा 3 बिस्वा यानि 0.04 हैक्टेयर वाके ग्राम मोहम्मदपुर तहसील मुण्डावर जिला अलवर के बाबत का वादी का वाद डिकी किया जाता है एवं हाल राजस्व रिकार्ड मे हो रहे चारागाह के अंकन को हजफ किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा उक्त विवादित आराजी मे वादी एवं तरतीबी प्रतिवादीगण 2 लगा0 5 को 1/4 भाग का, तरतीबी प्रतिवादी 6 व 7 को 1/12 भाग का, 12 लगा0 14 को 1/12 भाग का, तरतीबी प्रति0 15 को 1/12 भाग का एवं तरतीबी प्रति0 8 लगा0 11 को 1/2 भाग के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार ही हाल राजस्व रिकार्ड मे अंकन किया जावे।

उपखण्डाधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज0

Scanned by CamScanner

खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.01.2019 मे मेरे द्वारा लिखाई जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(साधुराम जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,मुण्डावर

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (अलवर) राज०

Scanned by CamScanner